



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 325 राँची, मंगलवार, 23 आषाढ़, 1942 (श०)
14 जुलाई, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

3 जून, 2020

संख्या :- 8/आरोप-05/2019 का० 2676-- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री मितरंजू कुमार, तत्कालीन अवर सचिव, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची, संप्रति - निलंबित (मुख्यालय- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) के विरुद्ध गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2429 दिनांक 07.05.2019 द्वारा सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के तहत अपने उच्चाधिकारी के सम्बन्ध में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

2. प्रशासी विभाग द्वारा प्रतिवेदित उक्त आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना सं० 3972 दिनांक 22.05.2019 द्वारा श्री कुमार, अवर सचिव को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए इनका मुख्यालय- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया गया है।

3. प्रशासी विभाग द्वारा गठित आरोप पत्र पर श्री कुमार, अवर सचिव से स्पष्टीकरण की मांग की गयी एवं समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं0 2080 दिनांक 20.03.2020 द्वारा श्री कुमार, अवर सचिव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. श्री कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय संसूचित किया जाता है:-

- (i) श्री कुमार, अवर सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।
- (ii) निलंबन से मुक्त करने के पश्चात् श्री कुमार को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची में अवर सचिव के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

5. इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निलंबन अवधि के संबंध में निर्णय अलग से संसूचित किया जायेगा।

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।
